प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 31 रान 2021
अनवान :–

1. राजेन्द्र पुत्र रूलीराम जाति जाट निवासी ललानावास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वावत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :–08/11/21

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 189/200 के खसरा न0 252/1 की कुल 3.0350हैक्‍ भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजाराम पुत्र रूलीराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र पुत्र रूलीराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र रूलीराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो एवं प्रशासन गांव कें सगं अभियान में मजमे आम में ली गई जानकारी के अनुसार प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र रूलीराम है तथा सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा भी प्रार्थी के नाम की तस्दीक की गई है

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 189/200 के खसरा न0 252/1 की कुल 3.0350हैक्‍ भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र रूलीराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम राजेन्द्र पुत्र रूलीराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र रूलीराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 189/200 के खसरा न0 252/1 की कुल 3.0350हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र रूलीरमा दर्ज के स्थान पर राजेन्द्र उर्फ राजाराम पुत्र रूलीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट .ललानाबास उतरादा

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/650 दिनांक :– 26-11-21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 31/2021 अनवानी राजेन्द्र बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. राजेन्द्र पुत्र रूलीराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानबास दिखनादा के खाता संख्या 189/200 के खसरा न0 252/1 की कुल 3.0350हैक भूमि में प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र रूलीरमा दर्ज के स्थान पर राजेन्द्र उर्फ राजाराम पुत्र रूलीराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट .ललानबास उतरादा.

Scanned with CamScanner